पढ़ाई से ध्यान तक, 'नगर वन' बदल रहे इंदौर का चेहरा

▶ आईआईटी से देवगुराड़िया तक शहर में फैल रहा 'नगर वन' मॉडल

नव भारत न्यूज

इंदौर. तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच इंदौर में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगर वन योजना शहर को नई पहचान देने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इस योजना के तहत विकसित हो रहे नगर वन अब केवल हरित क्षेत्र नहीं रहेंगे, बल्कि शिक्षा, जैव विविधता संरक्षण, मानसिक शांति और सामुदायिक गतिविधियों के केंद्र बनेंगे.

नगर वन योजना केंद्र सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य शहरों में प्राकृतिक वन जैसे क्षेत्र विकसित करना है. इन क्षेत्रों में स्थानीय और औषधीय पौधों का रोपण कर नागरिकों को प्रकृति के करीब लाने के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है. शहर का सबसे बड़ा नगर वन आईआईटी इंदौर परिसर में लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है. करीब 1.98 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2025-26 में पूरा करने का लक्ष्य है. यहां नेचर ट्रेल, बर्ड वॉचिंग ट्रैक, जल संरचनाएं, वॉच टॉवर, सोलर लाइटिंग, आंतरिक पथ, साइन बोर्ड और विजिटर सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. यह नगर वन छात्रों के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए भी खुला रहेगा.

संयुक्त वन समिति के माध्यम से बनेगा ईको रेस्टोरेंट भी- आईआईटी नगर वन में दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष नर्सरी भी बनाई जा रही है. इसमें छात्र बीज संग्रह, पौध तैयार करने और पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में भाग लेंगे. इसके साथ ही संयुक्त वन समिति के माध्यम से ईको रेस्टोरेंट का प्रस्ताव भी है, जिससे वनवासी समुदायों को आजीविका का अवसर मिलेगा. वहीं देवगुराड़िया में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में 1.42 करोड़ की लागत से विकसित हो रहा नगर वन ध्यान, योग और मानसिक शांति पर केंद्रित है. यहाँ प्राकृतिक वॉकिंग ट्रैक, ध्यान केंद्र, जलस्रोत और छायादार विश्राम स्थल तैयार किए जा रहे हैं.

भविष्य में शहर के 'ग्रीन लंग्स' बनेंगे नगर वन

डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि नगर वन केवल हरियाली बढ़ाने की योजना नहीं है, बल्कि इसे शिक्षा, संरक्षण और समाज को जोड़ने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये नगर वन शहर के 'ग्रीन लंग्स' बनेंगे और नागरिकों को शुद्ध हवा व मानसिक सुकून देंगे. इन परियोजनाओं की सफलता के बाद इंदौर वन मंडल ने वर्ष 2026-27 के लिए रमना बिजासन, टीसीएस कैंपस के पास और रालामंडल क्षेत्र में चार नए नगर वन प्रस्तावित किए हैं.

बायपास पर ट्रक में घुसी कार ट्रांसपोर्टर के बेटे की मौत

▶ कार के एयरबैग खुलने के बावजूद चालक की मौके पर ही हो गई मौत

▶ भाई मलेशिया में, उसके आने के बाद किया जाएगा अंतिम संस्कार

नव भारत न्यूज

इंदौर. बायपास पर शनिवार सुबह दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. देवास नाका से बिचौली की ओर जा रही कार एमपी 09 जेडएम 4545 शेरेटन होटल के सामने आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के एयरबैग खुलने के बावजूद चालक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और शव निकालने के लिए खिड़की तोड़नी पड़ी.

लसूड़िया पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान विक्रम सिंह राणा पिता परमजीत सिंह राणा, निवासी बिचौली के रूप में हुई है. विक्रम अपने पिता के साथ ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय संभालते थे. तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच हुई इस घटना में कार की रफ्तार काफी तेज बताई जा रही है. ट्रक से टकराते ही कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और वह दरवाजे फंस गए. प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि दरवाजा नहीं खुलने पर राहगीरों ने औजारों की मदद से खिड़की तोड़कर विक्रम को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

सूचना मिलते ही लसूड़िया पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार हटाकर यातायात बहाल कराया. लसूड़िया थाना प्रभारी तारेश कुमार सोनी ने बताया कि टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि ट्रक और आरोपी चालक का सुराग मिल सके. शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा है. परिजनों ने पुलिस को बताया कि विक्रम अविवाहित थे. उनकी मां का पहले ही निधन हो चुका है. परिवार में पिता और एक भाई है. भाई वर्तमान में मलेशिया में रहता है. भाई के इंदौर पहुंचने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा. हादसे के बाद बिचौली क्षेत्र और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों में शोक की लहर है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार, ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने या चालक को झपकी आने जैसी संभावनाओं पर जांच केंद्रित है.

सरकारी काम में बाधा डालना और लोकसेवक पर हमला पड़ा भारी

▶ एक साल का सश्रम कारावास और दो हजार रुपए जुर्माना की सजा

इंदौर. शासकीय कार्य में बाधा डालने और लोकसेवक पर हमला करने के मामले में अदालत ने आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला डॉ. अंबेडकर नगर स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने सुनाया.

प्रकरण के अनुसार थाना सिमरोल में दर्ज अपराध में आरोपी चंपालाल, उम्र 52 वर्ष, निवासी जिला इंदौर को दोषी ठहराया गया. न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. शासन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ रंजीता आर्य ने की. अभियोजन के अनुसार 9 दिसंबर 2019 को फरियादी अशोक यादव शासकीय ड्यूटी पर ग्राम बगोदा में विद्युत कनेक्शनों की जांच के लिए गया था. जांच के दौरान आरोपी चंपालाल के खेत में दो कृषि कनेक्शन माफी श्रेणी में पाए गए, लेकिन मौके पर वह कनेक्शन सीधे तौर पर उपयोग में ले रहा था. फरियादी ने जब कनेक्शन विच्छेद कर तार समेटने की कार्रवाई शुरू की, तो आरोपी ने शासकीय कार्य में बाधा डाली.

> आरोप है कि आरोपी ने फरियादी के बाएं पैर पर लाठी से हमला कर उसे चोट पहुंचाई, साथ ही अश्लील गालियां दीं और जान से मारने की धमकी देते हुए दोबारा गांव में न आने की चेतावनी दी. घटना के बाद फरियादी की शिकायत पर सिमरोल थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पेश किए और साक्ष्य रखे, न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी माना और उपरोक्त सजा सुनाई.

नौकरी का झांसा देकर 1.40 लाख की ठगी

इंदौर. निजी कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवक से 1 लाख 40 हजार रुपये ठगने का मामला सामने आया है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फरियादी 32 वर्षीय प्रतीक बोडाना निवासी रामेश्वर धाम कॉलोनी, मांगलिया ने बताया कि आरोपियों ने उसे कंपनी में नौकरी दिलाने का प्रलोभन दिया. इस दौरान बहानों के सहारे 1 लाख 40 हजार रुपये ले लिए गए, लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही पैसे वापस किए. मामले में क्षिप्रा थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी सीताकुमार और अदिति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

एक नजर में

महू में युवक को मारी गोली, इंदौर रेफर

महू. इंदौर रोड स्थित वेटनरी कॉलेज के सामने शनिवार दोपहर लगभग 1 बजे एक युवक को गोली मार दी गई. घटना में युवक के चेहरे और कंधे पर चोटें आई हैं. उसे तत्काल पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उसे गंभीर हालत में इंदौर रेफर कर दिया गया. प्रत्यक्षदर्शी बंटी ने बताया कि 7-8 युवक एक गुमटी पर बैठकर बात कर रहे थे. अचानक तीन गोलियां चलने की आवाज आई. पास जाकर देखा तो एक युवक जमीन पर गिरा हुआ था, जबकि अन्य युवक मौके से भाग रहे थे. सूचना मिलते ही किशनगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सील कर दिया. जांच के दौरान पुलिस ने मौके से गोली के खाली खोल भी जब्त किए हैं. मौके पर पहुंचे एसडीओपी ललित सिकरवार ने बताया कि कुछ युवकों के बीच विवाद हो रहा था, जिसके चलते गोली चली. घायल युवक की पहचान महू निवासी ओमप्रकाश अंजना के रूप में हुई है. गोली चलाने के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मायके वालों से बात करने से नाराज पति ने पीटा

इंदौर. मायके वालों से बातचीत को लेकर हुए घरेलू विवाद में एक महिला के साथ मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र की है. 28 वर्षीय फरियादी मानसी कतौरे निवासी श्री लक्ष्मी नगर, छोटा बांगड़दा रोड ने पुलिस को बताया कि वह घर पर थी, इसी दौरान पति गुलशन कतौरे ने मायके वालों से बात करने को लेकर विवाद किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया. आरोप है कि इस दौरान पति ने गालियां दीं, जिससे आसपास मौजूद लोग भी असहज हो गए. फरियादी का कहना है कि जब उसने गालियां देने से मना किया तो पति ने लात घूंसों और लकड़ी से उसके साथ मारपीट की. घटना के बाद पीड़िता थाने पहुंची, जहां उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई. एरोड्रम पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

देवर और देवरानी ने महिला के साथ की मारपीट

इंदौर. पारिवारिक विवाद के दौरान एक महिला के साथ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने देवर और देवरानी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना खजराना थाना क्षेत्र की रामकृष्णबाग कॉलोनी की है. 37 वर्षीय फरियादी अंकिता मालवीय निवासी 299 रामकृष्णबाग कॉलोनी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसने अपने देवर को गालियां देने से मना किया था. इसी बात पर आरोपी देवर गणेश मालवीय ने उसके बाल पकड़कर हाथ मुक्कों से मारपीट की. शिकायत के मुताबिक इसके बाद देवरानी मयूरी मालवीय मौके पर पहुंची और उसने पीड़िता की बच्ची को धक्का देकर मार दिया. जब फरियादी ने बीच बचाव किया तो मयूरी मालवीय ने भी उसके साथ हाथ थप्पड़ों से मारपीट की. आरोप है कि जाते जाते गणेश मालवीय ने धमकी दी कि यदि वह मकान से बाहर नहीं निकली तो उसे जान से खत्म कर देगा. थाना प्रभारी मनोज सिंह सेंधव का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

कार से मिली 18 पेटी अंग्रेजी शराब

इंदौर. अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की है. कार्रवाई के दौरान वाहन चालक मौके से कार छोड़कर फरार हो गया.

मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने गड़बड़ी पुलिया मोड़, मेन रोड किनारे खड़ी एक संदिग्ध सफेद रंग की मारुति सुजुकी ईको स्टार कार नम्बर एमपी 09 एके 4413 को चेक किया. तलाशी के दौरान कार से 7 कार्टून में भरी 18 पेटियां अंग्रेजी शराब बरामद हुईं. इनमें बोतलों की 14 पेटियां और क्वार्टर की 4 पेटियां शामिल थीं, जिनमें वोदका, रम और व्हिस्की पाई गई. जब्त शराब की कुल मात्रा 160.56 बल्क लीटर पाई गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 लाख 31 हजार 456 रुपये बताई जा रही है. थाना प्रभारी नीरज बिरथरे ने बताया शराब अवैध रूप से परिवहन की जा रही थी. चालक कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया.

फर्जी चालान लिंक भेजकर की साइबर ठगी

इंदौर. साइबर ठगों ने वाहन चालान के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर एक व्यक्ति के बैंक खाते से करीब तीन लाख रुपये निकाल लिए. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 57 वर्षीय नितिन जैन निवासी विष्णु लक्ष्मी विहार, खजराना ने शिकायत में बताया कि वह एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, हाईकोर्ट के पास स्थित अपने कार्यालय में था. इसी दौरान उसके मोबाइल नंबर पर वाहन चालान से संबंधित एक एपीके लिंक आया, जिसके बाद एक मैसेज भी मिला था, उसने मोबाइल से लिंक खोल दिया. इसके कुछ ही देर बाद उसके फोन पर मैसेज आए कि उसके एचडीएफसी बैंक खाते से दो बार में 2 लाख और 92 हजार रुपये कट गए हैं. अज्ञात आरोपियों ने आईएमपीएस के जरिए 2 लाख 92 हजार रुपये खाते से निकाल लिए. घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने बैंक से संपर्क किया और बाद में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.

बैंक कर्मचारी का शव दो दिन तक फंदे पर रहा

▶ नौकरी छूटने के बाद से थी डिप्रेशन में

इंदौर. शहर में आत्महत्या की दो अलग-अलग घटनाओं ने दोनों परिवारों और मोहल्ले में मातम फैला दिया. तिलक नगर क्षेत्र में एक महिला बैंक कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. शव दो दिन तक फांसी के फंदे पर ही लटका रहा. वहीं, दूसरा मामला अन्नपूर्णा क्षेत्र का है. यहां एक 20 वर्षीय युवक ने अपना जन्म दिन मनाने के बाद जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली.

तिलक नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. दो दिन तक उसका शव फंदे पर लटका रहा. पड़ोसियों और मकान मालिक तक को इसकी जानकारी नहीं लगी. बदबू आने पर घटना का खुलासा हुआ. युवती पहले आईसीआईसीआई बैंक में काम करती थी, जहां से उसने नौकरी छोड़ दी थी. डिप्रेशन के चलते सुसाइड की आशंका जताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा. हालांकि पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, पुलिस ने युवती का मोबाइल कस्टडी में ले लिया है, जिसकी जांच की जा रही है. तिलक नगर पुलिस के मुताबिक 23 वर्षीय उमंग पिता मालती प्रजापति मूल रूप से भोपाल की रहने वाली है। वह पिछले दो वर्षों से इंदौर के गणेश नगर में किराए से रह रही थी. परिवार में उसके माता-पिता व छोटी बहन है. पिता भोपाल में व्यापार करते हैं.

दो दिन से कमरे से बाहर नहीं निकली थी युवती- बताया गया है कि दो दिन से युवती कमरे से बाहर नहीं आई थी. ना तो पड़ोसियों ने उसे देखा और ना ही मकान मालिक ने, वहीं परिवार के लोगों ने उसे शुक्रवार को कॉल किया तो उसने कॉल नहीं उठाया. वहीं जानकारी मिलने के बाद भोपाल से भी परिवार के लोग इंदौर आए. परिजन ने बताया कि वह एक बैंक में काम करती थी। जहां पर काम को लेकर वह तनाव में थी. इसके चलते उसने कुछ समय पहले नौकरी भी छोड़ दी थी. परिजनों के मुताबिक, 14 जनवरी को उमंग की अपनी मां से आखरी बार बात हुई थी. वह उस वक्त नाराज थी, जिस पर उसने मां से कहा था कि वह बाद में बात करेगी, मगर उसके बाद उनकी बात ही नहीं हो पाई. संभवत: 14 जनवरी को ही उसने आत्महत्या कर ली. बहरहाल, पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है.

जन्मदिन मनाने के बाद युवक ने जहर खाया, मौत

अन्नपूर्णा क्षेत्र में महावर नगर निवासी एक परिवार में बेटे के जन्मदिन की खुशियां उस वक्त गम में बदल गई, जब बेटे ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. तबीयत बिगड़ने पर परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी सांस हमेशा के लिए थम गई. पुलिस ने मर्ग कायम कर एमवाय में उसका पीएम करवाया. पुलिस के अनुसार, महावर नगर निवासी 20 वर्षीय वंश पिता अनिल पारोचे का शुक्रवार को जन्मदिन था. परिवार में खुशी का माहौल था. परिवार के लोगों ने वंश का पूरे उत्साह और हंसी-खुशी के साथ जन्मदिन मनाया. वंश के बड़े भाई नीरज ने बताया कि शुक्रवार को छोटे भाई का जन्मदिन मनाने के बाद परिवार के लोगों ने खाना खाया. वंश ने भी साथ में ही खाया. खाना खाकर वह ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे में चला गया. वहां उसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया.

एक दर्जन से ज्यादा अपराधों से लदा शातिर चेन स्नैचर धराया

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में चेन स्नैचिंग की वारदातों से दहशत फैलाने वाले एक शातिर बदमाश को अन्नपूर्णा पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी पर पहले से ही लूट, चोरी और मारपीट के एक दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं. पुलिस ने उसके एक साथी को भी पकड़कर महिला से छीनी गई सोने की चेन और वारदात में उपयोग मोटरसाइकिल भी जब्त की है.

पुलिस उपायुक्त जोन 4 आनंद कलादगी ने बताया कि चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर अन्नपूर्णा थाना प्रभारी अजय कुमार नायर की टीम ने तुरंत कार्रवाई की है. घटना मंगलवार 13 जनवरी को सुदामा नगर निवासी अंजली बोराड़े अपनी बहन के साथ वैशाली नगर में पैदल जा रही थीं. सेक्टर-सी की गली में मुड़ते ही बाइक सवार बदमाश ने उनके गले से सोने की चेन झपट ली और फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू की. मुखबिर की सूचना पर आईटी पार्क सिंहासा पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस ने घेराबंदी की. पुलिस को देखकर एक संदिग्ध पहाड़ी से भागने लगा, लेकिन फिसलकर गिर पड़ा. चोट लगने के बाद उसे पकड़ लिया. पूछताछ में उसने अपना नाम निलेश मस्करा बताया और चेन स्नैचिंग की वारदात कबूल की और अपने साथी के शामिल होने की जानकारी दी. इसके बाद दूसरे आरोपी को ट्रेजर फेंटेसी इलाके से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार मुख्य आरोपी निलेश मस्करा, खंडवा रोड क्षेत्र का रहने वाला है. आरोपी के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में लूट, चोरी और मारपीट के करीब एक दर्जन से अधिक मामले पहले से दर्ज हैं. दूसरा आरोपी उमेश सेन है,

एक नजर में ▶ ऑनलाइन गेम खेलने के रुपए जुटाने के लिए करता था चेन स्नैचिंग

भोजनालय का संचालक दे रहा था झपटमारी की वारदातों को अंजाम

आरोपी ने झपटमारी की चार वारदातें करना कबूला

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में बढ़ती झपटमारी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने झपटमारी और लूट के मामलों में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लाखों रुपये का माल बरामद किया है. आरोपी महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाकर वारदात करता.

आरोपी हेलमेट पहनकर एक्सिस स्कूटी वाहन से वारदात को अंजाम देता था. पूछताछ में उसने शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चार झपटमारी की घटनाएं करना कबूल किया है. आरोपी ऑनलाइन गेमिंग का आदी था और गेम में पैसे लगाने के लिए लगातार इस तरह की वारदातें कर रहा था. पुलिस उपायुक्त जोन 2 कुमार प्रतीक ने बताया कि थाना प्रभारी मनीष लोधा एवं उपनिरीक्षक नवीन पाठक की टीम ने गोपनीय सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की है.

जांच में तिलक नगर और परदेशीपुरा क्षेत्र में दर्ज झपटमारी के मामलों का खुलासा हुआ है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान आशीष पिता लक्ष्मण राव नायडू, उम्र 49 वर्ष, निवासी यादव कॉलोनी जबलपुर, वर्तमान निवासी भोला उस्ताद मार्ग स्थित वैष्णवी भोजनालय के रूप में हुई है. आरोपी भंवरकुआ क्षेत्र में भोजनालय का संचालन करता है. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने तीन चेन तथा वारदात में प्रयुक्त काले रंग की एक्सिस स्कूटी सहित कुल 4 लाख 52 हजार का माल जब्त किया है. फिलहाल आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है.

गूगल में नौकरी का झांसा देकर 15.15 लाख की ठगी

पंजाब के जालसाज गिरोह के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया प्रकरण

नव भारत न्यूज

इंदौर. छोटा बांगड़दा क्षेत्र में रहने वाले दो भाइयों के साथ आईटी की दिग्गज कंपनी 'गूगल' में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 15.15 लाख रुपये की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जालसाजों ने फर्जी इंटरव्यू लेटर, जॉइनिंग लेटर और कंपनी एग्रीमेंट तक तैयार कर फरियादियों को भेजे. मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर क्राइम ब्रांच ने पंजाब के पटियाला निवासी मुख्य आरोपी ऋषभ कुमार और उसके साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

फरियादी स्मृति नगर निवासी आयुष कुमरावत ने पुलिस को बताया कि 2019 में उसका संपर्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ऋषभ कुमार से हुआ. ऋषभ ने पहले वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनवाकर समय पर भुगतान किया और भरोसा जीत लिया. इसके बाद उसने दावा किया कि वह गूगल के एंटीवायरस विभाग में सीनियर जोनल हेड अमितोष भट्टाचार्य के अधीन काम करता है. उसने आयुष को डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर और उसके भाई पीयूष को हंगरी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर नौकरी लगाने का लालच दिया.

रिफंड के नाम पर टालमटोल

जब तय समय में इंटरव्यू नहीं हुआ और जॉइनिंग डेट आगे बढ़ती गई, तो पीड़ितों को शक हुआ. आरोपियों ने रिफंड का झांसा दिया,

किस्तों में वसूली राशि और फर्जी दस्तावेज थमाए

असली जॉब का झांसा देते हुए आरोपियों ने 2022-23 के बीच प्रोसेसिंग फीस, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, इंग्लिश सर्टिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस, जॉइनिंग बॉन्ड और एम्बेसी फीस के नाम पर आयुष और पीयूष से किस्तों में 15 लाख 15 हजार 221 रुपये वसूले. विश्वास दिलाने के लिए गूगल हैंगआउट पर बातचीत की गई और 'अमितोष भट्टाचार्य' के हस्ताक्षर वाले फर्जी जॉइनिंग लेटर व एग्रीमेंट ईमेल पर भेजे.